प्रेषक,

पंकज कुमार पाण्डेय,
चतुर्थ अपर सिविल जज (जू०डि०),
कक्ष सं० 17, बस्ती।

सेवा में,

आदरणीय महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा–

माननीय जनपद न्यायाधीश,
बस्ती।

विषयः– शासनादेश सं०–1705/दो–4–2011–45 (12) 91/टी०सी० लखनऊ, दिनांक 03.01.2012 एवं शासनादेश सं० 1363/दो–4–2009–45 (12)/ 91/टी०सी० लखनऊ, दिनांक 13.05.2010 के अनुसार उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में मेरे चयन के समय विधि स्नातकोत्तर (L.L.M.) उपाधि धारक होने के कारण तीन तीन अग्रिम वेतनवृद्धि मय महंगाई भत्ता नियुक्ति की दिनांक 14.12.2019 से प्रदत्त किए जाने के सम्बन्ध में–

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी ने दिनांक 14.12.2019 को चतुर्थ अतिरिक्त सिविल जज (जू०डि०), कक्ष सं० 17, बस्ती के पद पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पदभार ग्रहण किया है। प्रार्थी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन के समय विधि स्नातकोत्तर होने के कारण पदभार ग्रहण करने के दिनांक 14.12.2019 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय महंगाई भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त विधि स्नातकोत्तर उपाधि धारक होने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के आवेदन पत्र में भी वर्णित किया है।

अतः माननीय महोदय से सादर प्रार्थना है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में प्रार्थी को पदभार ग्रहण करने के दिनांक 14.12.2019 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय महंगाई भत्ता प्रदान करने हेतु समुचित आदेश पारित करने के लिए प्रार्थी का उक्त प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर !

दिनांक 27.05.2020

भवदीय

Pankaj 27-05-2020

(पंकज कुमार पाण्डेय)
चतुर्थ अपर सिविल जज (जू०डि०),
कक्ष सं० 17, बस्ती।